

229



न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

श्री लक्ष्मी अंतर्गत प्रकरण क्रमांक
31/21/13 के 20-8-13
जय निवाडी के समक्ष
5630/ 39
20-8-13

12013 पुनरीक्षाण R - 3262-11113

1) श्रीमती फूलवती विधवा रमाले बहिरवार,
2) सुतीश पुत्र मखन धौण,
निवासीगण ग्राम टीला, तैहसील निवाडी,
जिला टीकमगढ़ --- आवेदकगण
वनाम

श्रीमती जयकुंवर पत्नि स्व० श्री रमेश,
निवासी ग्राम टीला, तैहसील निवाडी,
जिला टीकमगढ़ --- अनावैदिका.

S/S Manish
2

22-8-13

पुनरीक्षाण अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मू-राजस्व संहिता 1948
विरुद्ध आवेश दिनांकी 16-7-13 धारित राजस्व निरीक्षाक,
तैहसील निवाडी, के प्रकरण क्रमांक 151 अ 152 151-152 कउनवान
श्रीमती जयकुंवर ।

माननीय महादय,

आवेदकगण की और से पुनरीक्षाण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-
संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, वर्तमान प्रकरण अनावैदिका श्रीमती जयकुंवर द्वारा
राजस्व निरीक्षाक मण्डल, निवाडी के समक्ष ग्राम टीला की भूमि
का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारम्भ हुआ । राजस्व
निरीक्षाक मण्डल, निवाडी द्वारा प्र० क्र० 151 अ 152 151-152 पंजीकृत
किया एवं राजस्व निरीक्षाक की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का
टीला ने सीमांकन की इल्लीगल कार्यवाही प्रारम्भ की। आवेदक की
सीमांकन वाक्त् कोई सूचना नहीं दी और ना ही फटाकार बताया ।
आवेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षाक मण्डल, निवाडी के समक्ष गलत
सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में एवं व्यवहार वाद व्यवहार न्या
में लंबित होने एवं वरिष्ठ न्यायालय आयुक्त महादय के समक्ष रि

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3262-तीन/2013

जिला टीकमगढ़

फूलवती विरूद्ध जयकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील निवाड़ी के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06-07-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को तय्योजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जेन) सदस्य</p> <p>20/2/2019</p>